GOVERNMENT OF RAJASTHAN
DEPARTMENT OF FORESTS

No.F.1(58) Forest/2013 Jaipur, dated: 30 JUL 2014

ORDER

In reference to the clearance issued by MoEF, GoI vide letter No. 8 B/Raj./04/27/2013/F.C./189 dated 06-06-2014 for the project proponent Power Grid Corporation of India Ltd. for diversion of 1.748 ha. and rediversion of 0.184 ha. forest area for the purpose of construction of 400 KV D/C Agra- Sikar transmission line. The State Government hereby accords sanction under Section 2 of the Forest (Conservation) Act with the following conditions:-

1. The conditions imposed by MoEF, GoI in their clearance dated 06-06-2014 will be complied by all concerned.
2. This order along with conditions imposed by the Central Government according to Stage - I and Stage - II clearances are mandatorily required to be displayed in the website by State Forest Department as well as by MoEF, GoI.
3. The project proponent should publish the entire forest clearances granted in verbatim along with the conditions and safeguards imposed by the Central Government in Forest Clearance in two widely circulated daily newspapers one in vernacular language and the other in English language so as to make people aware of the permission granted to the project proponent for use of forest land for non-forest purposes.
4. The copies of the Forest clearance should also be submitted by the project proponents to the Heads of local bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.
5. Any other condition as and when imposed by the State Government.

Sd/-
(C.S. Ratnasamy)
Secretary, Forest

Copy to the following for necessary compliance:-

1. Principal Chief Conservator of Forests (HoFF), Rajassthan, Jaipur.
2. Regional Office, Ministry of Environment & Forests, Govt. of India, Kendriya Bhavan, Lucknow.
3. Sr. Assistant Inspector General of Forests, In-charge, Monitoring Cell. Forest Conservation Division. MoEF, Govt. of India, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, Lodhi Road. New Delhi - 110 510 - with a request to ensure uploading of the order passed by the State Government on the MoEF website.
4. Director, Regional Office (Headquarters), Ministry of Environment & Forests, New Delhi.
5. Addl. Principal Chief Conservator of Forests & Nodal Officer (FCA), Rajasthan, Jaipur - with a request to get the order and clearances uploaded on the State Forest Department website.
6. Chief Conservator of Forests, IT, Aravali Bhawan, JLN Marg, Jaipur - to ensure the uploading of the order and clearances on the State Forest Department website.
7. Concerned Regional Chief Conservator of Forests, Jaipur.
8. Dy. Conservator of Forests, Jaipur, (North).
9. Manager, Transmission line, Power Grid, Corporation, Putali Road, Shakti Vihar Colony, Kotputli, Jaipur-303108

Secretary, Forests

1929.
23/6/14

भारत सरकार
Government of India
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
Ministry of Environment & Forests
क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य क्षेत्र)
Regional Office (Central Region)

सत्यमेव जयते

जहाँ है हरियाली ।
वहाँ है खुशहाली ॥

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector 'H' Aliganj, Lucknow-226024 Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8 बी/राज0/04/27/2013/एफ.सी. /189 दिनॉकः 06.06.2014

सेवा में,

प्रमुख सचिव {वन},
सिविल सचिवालय,
राजस्थान शासन जयपुर ।

विषयः डायवर्जन आफ 1.748 हे0 फोरेस्ट लैण्ड एण्ड रिडायवर्जन ऑफ 0.184 हे0 फोर 400 के0वी0 डी0/सी0 आगरा–सीकर पारेषण लाईन इन फेवर आर्फ पीजीआईएल

सन्दर्भ : अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जयुपर, राजस्थान का पत्रांक एफ 14( )2013/वसु/प्रमुवसं/1694, दिनॉकः 28.02.2014

महोदय,

उपरोक्त विषय पर शासन सचिव, राजस्थान शासन का अदिनांकित पत्रांक,– प1(58)वन/2013, का अवलोकन करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन {संरक्षण} अधिनियम, 1980 की धारा(2) के तहत स्वीकृति मॉगी गयी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 31.10.21013 एवं दिनांक– 08.11.2013 द्वारा प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति एवं संशोधन जारी किया गया था जिसमे उल्लिखित शर्तों की अनुपालना अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रेषित की गयी है। प्रस्तुत की गयी अनुपालना पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार जनपद जयपुर के अन्तर्गत 400 के0वी0 डी0/सी0 आगरा–सीकर पारेषण लाईन के निर्माण हेतु 1.932 हे0 (डायवर्जन आफ 1.748 हे0 फोरेस्ट लैण्ड + रिडायवर्जन ऑफ 0.184 हे0) वन भूमि के पी0जी0आई0एल0 के पक्ष में प्रत्यावर्तन बिना किसी वृक्ष के पातन की विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है।

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।
2. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात 1.748 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जाएगा। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध करायी गयी 1.748 हे0 गैर वन भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण वन विभाग, राजस्थान के पक्ष में हो चुका है। इसे आरक्षित वन भूमि के रूप में छः माह में अधिसूचित किया जाएगा एवं एक प्रति अभिलेख हेतु इस कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी।
3. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित ट्रान्समिशन लाइन के नीचे छोटे पौधो (विशेषकर औषधीय पौधे) का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा।
4. सक्षम स्तर से यदि शुद्ध वर्तमान मूल्य की धनराशि में बढ़ोत्तरी की जाती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन.पी.वी. की बढ़ी हुई दर की अतिरिक्त राशि जमा की जाएगी।
5. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम के अन्तर्गत जारी हैन्डबुक के Annexure V में दिये गये दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन किया जायेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
7. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एंव जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जाएगी।

8. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

9. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों /स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हों।

10. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

11. प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान में मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जाएगा।

12. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर मक डिस्पोजल कार्ययोजना अनुसार वन विभाग की देख–रेख में किया जायेगा।

13. प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

भवदीया,

(प्राची गंगवार)
उप वन संरक्षक {केन्द्रीय}

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अति वन महानिदेशक (एफ.सी)., पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, पर्यावरण भवन सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोदी रोड, नयी दिल्ली–110003.
2. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, अरण्य भवन, वानिकी पथ, जयपुर, राजस्थान ।
3- उप वन संरक्षक, जयपुर (उत्तर), राजस्थान।
4- प्रबन्धक, पॉवर ग्रिड कार्पो0 आफ इण्डिया लि0, एन0एच0–8, पूतली रोड, शक्ति विहार कालोनी, कोटपुतली, जयपुर, राजस्थान।
5. आदेश पत्रावली।

06/06/14
(प्राची गंगवार)
उप वन संरक्षक {केन्द्रीय}

शुद्धि पत्र

भारत सरकार
पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय { मध्य क्षेत्र }

पंचम तल, केन्द्रीय भवन,
सैक्टर एच, अलीगंज,
लखनऊ–226024
टेलीफैक्स–2326696

पत्र सं0 8बी/राज0/04/27/2013/एफ.सी.

दिनॉक : 08.11.2013

सेवा में,

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी,
अरण्य भवन, वानिकी पथ,
जयपुर, राजस्थान

विषयः डायवर्जन आफ 1.748 हे0 फोरेस्ट लैण्ड एण्ड रिडायवर्जन ऑफ 0.184 हे0 फोर 400 के0वी0 डी0/सी0 आगरा–सीकर पारेषण लाईन इन फेवर आफ पीजीआईएल

सन्दर्भः शासन सचिव, राजस्थान शासन का पत्रांक,– प1(58)वन/2013, दिनांक

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन {संरक्षण} अधिनियम, 1980 की धारा(2) के तहत स्वीकृति मॉगी गयी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक– 31.10.2013 द्वारा प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसमें उल्लिखित शर्त संख्या–1 में आंशिक टंकण त्रुटि को शुद्ध किया जाता है, जो इस प्रकार है–

शर्त संख्या– 1– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात 1.748 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर की है इसे वन विभाग के पक्ष मे हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा इस भूमि को छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

भवदीया,

(प्राची गंगवार)
उप वन संरक्षक (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. प्रमुख सचिव, वन, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. उप वन संरक्षक, जयपुर (उत्तर), राजस्थान।
3. प्रबन्धक, पॉवर ग्रिड कार्पो0 आफॅ इण्डिया लि0, एन0एच0–8, पूतली रोड, शक्ति विहार कालोनी, कोटपुतली, जयपुर, राजस्थान।
4. आदेश पत्रावली।

(प्राची गंगवार)
उप वन संरक्षक (के0)

भारत सरकार,
पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय {मध्य क्षेत्र}

पंचम तल, केन्द्रीय भवन,
सैक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
टेलीफैक्स–2326696

2234
21.11.13

पत्र सं0 8बी/~~यू.पी.~~ राज0/04/27/2013/एफ.सी. /1248

दिनॉक: 31.10.2013

सेवा में,

प्रमुख सचिव {वन},
सिविल सचिवालय,
राजस्थान शासन जयपुर ।

विषय: डायवर्जन आफ 1.748 हे0 फोरेस्ट लैण्ड एण्ड रिडायवर्जन ऑफ 0.184 हे0 फोर 400 के0वी0 डी0/सी0 आगरा–सीकर पारेषण लाईन इन फेवर आफॅ पीजीआईएल

सन्दर्भ: शासन सचिव, राजस्थान शासन का पत्रांक,– प1(58)वन/2013, दिनांक

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन {संरक्षण} अधिनियम, 1980 की धारा(2) के तहत स्वीकृति मॉगी गयी थी।

राज्य सरकार के प्रस्ताव पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने के निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार जनपद जयपुर के अन्तर्गत 400 के0वी0 डी0/सी0 आगरा–सीकर पारेषण लाईन के निर्माण हेतु 1.932 हे0 (डायवर्जन आफ 1.748 हे0 फोरेस्ट लैण्ड + रिडायवर्जन ऑफ 0.184 हे0) वन भूमि के पी0जी0आई0एल0 के पक्ष में प्रत्यावर्तन एवं शून्य वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्न शर्तों पर प्रदान करती है।

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात 1.932 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर की है इसे वन विभाग के पक्ष मे हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा इस भूमि को छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित विद्युत लाइन के नीचे बौने पौधों (मुख्यतः औषधीय पौधे) के रोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।

3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।

4. भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशो के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या सी0ए0 1581, कार्पोरेशन बैंक(भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 मे जमा कराया जाये।

5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।

6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक(भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड, नई

दिल्ली–110003 मे जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण, कैचमैन्ट ऐरिया ट्रीटमेन्ट प्लान (कैट प्लान), मार्ग/प्रस्तावित स्थल के आस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

7. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक– 11-9/98-FC, Dated- 08-07-2011 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुए भू–संदर्भित डिजीटल डाटा /मानचित्र प्रस्तुत करें जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (.shp) फाइल में दर्शाया गया हो।

8. प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत संबंधित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नही होते हैं।

9. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराई गई गैर वन भूमि जो खसरा संख्या 1101 के बुछारा में दी गयी है पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की योजना एवं मानचित्र तथा उपलब्ध कराई गयी भूमि का भूमि उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें

10. प्रभागीय वनाधिकारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि उपरोक्त विषयांकित प्रस्तावित पारेषण लाईन के [illegible] में प्रभावित होने वाली सभी प्रकार की वन भूमि को प्रस्ताव में सम्मिलित कर लिया गया है।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। याचक विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा तब तक कार्यान्वित नहीं की जायेगी जब तक वनभूमि हस्तान्तरण के विधिवत् आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किये जाते ।

भवदीया,

(प्राची गंगवार)
उप वन संरक्षक(के.)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अति वन महानिदेशक (एफ.सी)., पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, पर्यावरण भवन सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोदी रोड, नयी दिल्ली–110003.
2. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, अरण्य भवन, वानिकी पथ, जयपुर, राजस्थान ।
3. उप वन संरक्षक, जयपुर (उत्तर), राजस्थान।
4. प्रबन्धक, पॉवर ग्रिड कार्पो0 आफ इण्डिया लि0, एन0एच0 8, पूतली रोड, शक्ति विहार कालोनी, कोटपुतली, जय[illegible] राजस्थान।
5. आदेश पत्रावली।

31/10/13

(प्राची गंगवार)
उप वन संरक्षक(के.)